कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ

संख्या - 754/शि0का0-2000 दिनांक फरवरी 5, 2000

सेवा में,

समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन
उत्तर प्रदेश।

विषय- दूर संचार से संबन्धित निजी कम्पनियों द्वारा टावर स्थापना हेतु भू स्वामियों की भूमि के उपयोग के फलस्वरूप अन्तरण/ पट्टा के अनिबंधित विलेखों के कारण स्टाम्प राजस्व की क्षति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना कि निजी मोबाईल टेलीफोन कम्पनियॉ पूरे प्रदेश में अपने टावर काफी संख्या में स्थापित की है। परन्तु तत्सम्बन्धित कोई भी अन्तरण पट्टा विलेख का निबंधन सम्भवतः नही कराया है। प्रश्नगत विषय के संबंध में विलेखों के निबंधन न कराये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है।

अतः आपको एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र/ जनपद में कार्यरत टेलीफोन कम्पनियों के कार्यालयों से प्रश्नगत विषय अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृपया कृत कार्यवाही से संबंधित विवरण पत्र मासिक समीक्षा बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करें।

बी0एम0मीना
महानिरीक्षक निबंधन
उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ।